

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की गई
कार्रवाई के बारे
में टिप्पणी
तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्ता, गढ़वा
भूमि विक्री अनुमति वाद सं०-47/2021
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
फुलमनिया देवी—विक्रेता
प्रति
भगमनिया देवी—क्रेता
आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका (विक्रेता) फुलमनिया देवी, पति-स्व० रामप्रसाद राम, ग्राम-अरसली उत्तरी, पोस्ट-अरसली, थाना-भवनाथपुर, जिला-गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता भगमनिया देवी, पति-श्री जगदीश राम, ग्राम-अरसली, पोस्ट-अरसली, थाना-भवनाथपुर, जिला-गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, भवनाथपुर से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के पत्रांक 160/दिनांक 23.03.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेता के चाचा स्वसुर के नाम से मांग पंजी II के पृष्ठ सं०-81/1 (हाल सर्वे मांग पंजी II के पृष्ठ सं०-757/1) विक्रेता के पति दनै० के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के दुसाध (अनुसूचित जाति) एवं क्रेता जाति के दुसाध (अनुसूचित जाति) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदिका (विक्रेता) के शांतिपूर्ण दखल-काबजे में है। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः अंचल अधिकारी, भवनाथपुर के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदिका (विक्रेता) फुलमनिया देवी, पति-स्व० रामप्रसाद राम, ग्राम-अरसली उत्तरी, पोस्ट-अरसली, थाना-भवनाथपुर, जिला-गढ़वा ने क्रेता भगमनिया देवी, पति-श्री जगदीश राम, ग्राम-अरसली, पोस्ट-अरसली, थाना-भवनाथपुर, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरण:-

ग्राम	थाना सं०	खाला सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
अरसली	56	पुराना-256 नया-567	पुराना-647 नया-1311	0.07½	उ०-नीज क्रेता, द०-कच्ची शरता, पू०-नीज क्रेता, प०-नीज विक्रेता,
कुल रकबा:-				0.07½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्ता
गढ़वा

अपर समाहर्ता
गढ़वा